राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. विविध आपराधिक जमानत आवेदन सं. 14290/2023

रावता राम पुत्र पप्पा राम, आयु लगभग 38 वर्ष, आर/ओ राबडियास, पी. एस. झानवर, तहसील लूनी, जि. जोधपुर। (वर्तमान में जिला जेल, जालौर में 07-01-2020 से स्थित है)---- याचिकाकर्ता

बनाम

एन. सी. बी., जोधपुर के माध्यम से भारत संघ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवेंद्र सिंह राठौर और श्री मयंक रॉय द्वारा सहायता प्राप्त।

प्रतिवादी (ओं) के लिए :- श्री एम. आर. पारीक, विशेष पीपी।

माननीय जस्टिस श्री मनोज कुमार गर्ग

आदेश

रिपोर्ट योग्य

07/02/2024

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत यह दूसरी जमानत याचिका है। याचिकाकर्ता को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8/18,25 और 29 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन एन. सी. बी. जोधपुर, जिला जोधपुर, एफ. आई. आर. सं. 02/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता की पहली जमानत याचिका को इस अदालत ने 07.03.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वकील ने कहा कि मुकदमा पिछले चार साल से अधिक समय से लंबित है और अब तक कुल 12 गवाहों में से केवल पांच अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई है। वकील प्रस्तुत करते हैं कि समन जारी होने के बावजूद कुछ गवाह अपने साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए।

अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य (अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) सं. 4169/2023) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल के आदेश पर भरोसा रखा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"3. हमें सूचित किया जाता है कि मुकदमा शुरू हो गया है लेकिन 19 गवाहों में से केवल 1 गवाह से पूछताछ की गई है। इस प्रकार, मुकदमे के समापन में कुछ और समय लगेगा।

4. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तों के संबंध में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील को विधिवत सुना गया है। इस प्रकार, पहली शर्त का पालन किया जाता है। जहाँ तक दूसरी शर्त हैः यह मानने के लिए कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, इस स्तर पर इसका गठन नहीं किया जा सकता है जब वह पहले ही साढ़े तीन साल से अधिक

समय हिरासत में बिता चुका है। लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में, सशर्त स्वतंत्रता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (ii) के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को ओवरराइड करना चाहिए। भारत संघ बनाम के. ए. नजीब के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2021) 3 एस. सी. सी. 713 में रिपोर्ट की, उन मामलों से निपटने के दौरान जहां जमानत देने की अदालत की शक्ति पर बंधन लगाए गए हैं और मुकदमा उचित समय के भीतर पूरा नहीं हुआ है, निम्नानुसार देखा गया हैः "17. इस प्रकार हमारे लिए यह स्पष्ट है कि यू. ए. पी. ए. की धारा 43-डी. (5) जैसे वैधानिक प्रतिबंधों की उपस्थिति संविधान के भाग-3 के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की संवैधानिक अदालतों की क्षमता को समाप्त नहीं करती है। वास्तव में, किसी कानून के तहत प्रतिबंधों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों दोनों में अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जबकि कार्यवाही शुरू होने पर, अदालतों से जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति की सराहना करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसे प्रावधानों की कठोरता कम हो जाएगी जहां उचित समय के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और पहले से ही कारावास की अवधि निर्धारित सजा के एक बड़े हिस्से से अधिक हो गई है। इस तरह का दृष्टिकोण यू. ए. पी. ए. की धारा 43-डी.(5) जैसे प्रावधानों को जमानत से इनकार करने या त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के व्यापक उल्लंघन के लिए एकमात्र मीट्रिक के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना से बचाएगा। उमेश व्यास बनाम राजस्थान राज्य (एस. बी. विविध आपराधिक द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 14958/2022), दिनांक 17.03.2023 के आदेश के माध्यम से, यह भी कहा गया हैः "अब्दुल

मजीद लोन बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर [अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 3961/2022], अमित सिंह मोनी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 668/2020), तपन दास बनाम भारत संघ [अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 5617/2021], कुलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य [अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 5187/2019, घनश्याम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य [अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 5397/2019], नदीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 1524/2022] और मुकेश बनाम राजस्थान राज्य [अपील के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 4089/2021] ने अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ अभिरक्षा अवधि के आधार पर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ ले जाने या रखने के आरोप हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पूरा होने में समय लगेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन अभियुक्त व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया है जो दो साल से लेकर चार साल तक की हिरासत में थे। विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मैं इस पांचवें जमानत आवेदन को केवल आरोपी याचिकाकर्ता की हिरासत अवधि के आधार पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुमति देना उचित समझता हूं कि उसके खिलाफ मुकदमा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दायर इस तीसरी जमानत याचिका की अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता उमेश व्यास पुत्र श्री गणेशलाल जी को पुलिस स्टेशन चारभुजा, जिला

राजसमंद की प्राथमिकी संख्या 15/2019 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह सुनवाई की प्रत्येक तारीख को उस अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए विद्वान निचली अदालत की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपये की दो ठोस और विलायक प्रतिभूति के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके को निष्पादित करता है और जब भी सुनवाई पूरी होने तक ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) 2023 की सं. 915, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांकित 28.03.2023 निर्णय पर भरोसा रखा है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए मुकदमे में देरी पर भी विचार किया जा सकता है और मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ता जमानत पर विस्तारित होने का हकदार है। याचिकाकर्ता 08.01.2020 यानी चार साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और मामले की सुनवाई में पर्याप्त लंबा समय लगेगा। अतः अभियुक्त-याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जा सकता है। विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि बरामद वर्जित पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। निचली अदालत से मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई थी और उक्त आदेश के अनुपालन में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, जालौर ने दिनांकित 12.01.2024 प्रगति रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि किसी न किसी कारण से, गवाह अपने साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ और

मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

मैंने अपने सामने पेश की गई दलीलों पर विचार किया है और प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को भी देखा है। यह विवादित नहीं है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता को अब तक चार साल से अधिक की कैद हो चुकी है और मुकदमा अभी भी चल रहा है। जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 का संबंध है, अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर लगाया गया प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। प्रावधान में, धारा 37 के भीतर कुछ अपवाद मौजूद हैं और उन अपवादों के लिए, जमानत दी जा सकती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को अब तक 4 साल से अधिक की कैद का सामना करना पड़ा है, इसलिए, याचिकाकर्ता की लंबी हिरासत को देखते हुए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत परिकल्पित कठोरता का आह्वान करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दूसरी जमानत याचिका की अनुमति दी जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता रावता राम पुत्र पप्पा राम को एफ. आई. आर. संख्या 02/2020, पुलिस स्टेशन एन. सी. बी. जोधपुर, जिला जोधपुर में जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह सुनवाई की सभी तारीखों पर संबंधित अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए विद्वत परीक्षण न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए रु. 1,00,000 की दो प्रतिभूतियों के साथ रु. 2,00,000 की राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करे।

(मनोज कुमार गर्ग), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।